न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 177–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–12–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 350/2015–16/अपील.

1– ठाकुरदास पुत्र बाबूलाल कुशवाह
2– मुनीम उर्फ बालासाहब पुत्र बाबूलाल कुशवाह
3– श्रीकृष्ण पुत्र बाबूलाल कुशवाह
4– राजकुमार पुत्र बाबूलाल कुशवाह
निवासीगण उरवाई गेट
आउखाना कलॉ ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, ग्वालियर
2– ओमप्रकाश पुत्र स्व. रामरतन कुशवाह
उरवाई गेट आउखाना कलॉ, ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बी.एम. त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक क. 1
श्री अजय शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क. 2

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 7/11/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–12–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, ग्वालियर द्वारा दिनांक 10–9–14 को आदेश पारित कर ग्राम आउखाना कलां स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 462 रकबा 0.073 हेक्टेयर से आवेदकगण सहित अन्य के द्वारा किया गया अवैध कब्जा हटाये जाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील

अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–4–16 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 350/2015–16/अपील दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 26 नियम 9 सहपठित संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21–12–2016 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का लगभग 100 से भी अधिक समय से मकान बना हुआ है, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा निष्पक्ष व्यक्ति से जांच कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि कमीशन नियुक्त कर दिया जाता है और उनके द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाता है, तब आवेदकगण को न्याय प्राप्त होगा और प्रश्नाधीन भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि निष्पक्ष व्यक्ति से जांच कराने में शासन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, बल्कि आवेदकगण को न्याय मिलने की पूर्ण संभावना है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा शासकीय भूमि पर अतिकमण नहीं किया गया है और प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में पटवारी द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर अतिकमण किया गया है । अतः पुनः जांच हेतु कमीशन नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदकगण द्वारा पुनः जांच हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक को उभय पक्ष की उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में पुनः जांच करने के निर्देश दिये गये थे और तहसील न्यायालय के आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण को सीमांकन के समय उपस्थित रहने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया था, किन्तु आवेदकगण सीमांकन के समय उपस्थित नहीं हुए । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण की आपत्ति निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, क्योंकि आवेदकगण को तहसील न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर दिया गया था, जिसका लाभ आवेदकगण द्वारा नहीं उठाया गया है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । चूंकि प्रकरण अभी अपर आयुक्त के समक्ष प्रचलित है और आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष जो बिन्दु उठाये गये हैं, आवेदकगण चाहें तो अपर आयुक्त के समक्ष उक्त बिन्दु उठा सकते हैं और अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–12–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर